दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 24-08-2025

संडे बिग स्टोरी

चाकूबाजी के आंकड़ों को कम करने पुलिस अपना रही इस तरह के पैंतरे

खुद का रिकॉर्ड सुधारने FIR में 'चाकू' नहीं सेफ्टी पिन व नेलकटर लिख रही पुलिस, बच रहे आरोपी

क्राइम रिपोर्टर | बिलासपुर

शहर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इससे घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस अपना रिकॉर्ड सुधारने के लिए एफआईआर में इसे 'नुकीली वस्तु से हमला' बताकर मामूली मारपीट का केस दर्ज कर रही है। मामलों में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी नहीं लगाई जा रही हैं, जिससे आरोपी आसानी से जमानत पाने के अलावा बरी भी हो रहे हैं। ऐसा चाकूबाजी के आंकड़ों को कम दिखाने के लिए किया जा रहा है। शहर में धड़ल्ले से पान, किराना दुकानों में आसानी से चाकू और अन्य हथियार बिकने की खबर पर हाई कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। पुलिस को शपथ पत्र के साथ जवाब देने को कहा गया है।

पुलिस ने चाकूबाजी रोकने के बजाय उसके आंकड़े कम करने का नया तरीका निकाला है। पीड़ितों के अनुसार जिन अपराधों में चाकू का उपयोग हुआ है, गहरी चोट भी लगी है, लेकिन उनकी एफआईआर में पुलिस चाकू के बजाय नुकीली वस्तु, सेफ्टी पिन या नेल कटर लिख रही है। इनमें आर्म्स एक्ट की धाराएं भी नहीं जोड़ी जा रही हैं। दुकानों में चाकू आसानी से उपलब्ध हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी सीधे घरों तक पहुंच रहे हैं।

गंभीर वारदातों में साधारण मारपीट का केस दर्ज करने पर आसानी से छूट रहे बदमाश

5 साल 8 माह में 76 हमले नुकीली वस्तुओं से

(सिटीजन पोर्टल की एफआईआर से)

एसएसपी के निर्देश की अनदेखी

चाकूबाजी में घायल छात्र।

11 मार्च 2024 को एसएसपी रजनेश सिंह ने सभी थानों को निर्देशित किया था कि किसी भी अपराध में यदि चाकू या कोई धारदार वस्तु का उपयोग होता है, तो टीआई व विवेचक उस मामले में हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत अपराध दर्ज करें। इससे अपराधियों में कानून का डर बनेगा और आम जनता का पुलिस और कानून पर विश्वास बढ़ेगा। उनके इस निर्देश का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है।

नहीं लग रहे आर्म्स एक्ट, मामूली धाराओं में कार्रवाई

पुलिस चाकूबाजी के आंकड़े कम करने एफआईआर में 'चाकूबाजी' शब्द लिखने से परहेज कर रही है। आर्म्स एक्ट की धाराएं भी नहीं जोड़ी जा रही हैं। अधिकांश मामलों में नुकीली वस्तु से हमला दर्ज किया जा रहा है। कई मामलों में साधारण धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है।

जिस हथियार से हमला होत एफआईआर में वही लिखत

चाकू चलने की घटना को पुलिस चाकूबाजी ही दर्ज करती है। जिस वस्तु से हमला होता है एफआईआर में वही लिखा जाता है। राजपत्रित अधिकारी इसकी समीक्षा करते हैं। चाकू चलाने के केस में आर्म्स एक्ट भी जोड़ी जाती है।
–रश्मित चावला, डीएसपी मुख्यालय एवं पुलिस प्रव

थानों में इस तरह से लिखी जा रही एफआईआर

चाकू नहीं, नुकीली वस्तु से हमला लिखा

केस-1 19 अगस्त 2025 की रात 9.30 बजे सरकंडा क्षेत्र में रतनपुर कर्रा निवासी राहुल श्रीवास से लिफ्ट लेने के बाद बाइक सवारों ने शराब के लिए 500 रुपए की मांग की। इनकार करने पर किसी नुकीली वस्तु से उस पर हमला कर घायल कर दिया गया। इस मामले में मारपीट की धाराएं लगाई गईं।

स्कूल में चाकूबाजी, रिपोर्ट में नेलकटर दर्ज

केस-2 19 अगस्त 2025 को तारबाहर थाना क्षेत्र स्थित भारत माता स्कूल में पुराने विवाद को लेकर चाकूबाजी हुई। हमले में छात्र आवेश मिर्जा सहित दो घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने चाकू के उपयोग को नकारते हुए कहा कि छात्रों पर चाकू नहीं, बल्कि नेल कटर से हमला हुआ था। एफआईआर में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी नहीं लगाई गईं।

एक्सपर्ट व्यू

आरोपी को चाकू के साथ पकड़ती है पर सही धाराएं नहीं लगाती पुलि

विनय दुबे, अधिवक्ता हाईकोर्ट, बिलासपुर

चाकूबाजी के अलावा नुकीली वस्तुओं से हमला करने पर भी आर्म्स एक्ट लगना चाहिए। पुलिस ऐसे मामलों में मामूली धाराएं लगाकर आरोपियों को बचा लेती है। चूंकि ऐसे अपराध में आजीवन कारावास का प्रावधान है, इसलिए आसानी से जमानत नहीं मिलती । पुलिस आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार तो करती है, लेकिन सही धाराएं नहीं लगाती। इससे अपराधियों को या तो सजा नहीं मिलती या बहुत कम मिलती है, जिससे वे जल्दी जमानत पा जाते हैं और फिर से सक्रिय हो जाते हैं। चाकूबाजों पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 लगाई जाए तो इसमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है।